स्मरण–पत्र

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प 1(4) भू.अ. / 695 दिनांकः– 8/8/11

उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
.... ।

विषयः– राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना स्थित भूमि को जयपुर मेट्रो परियोजना हेतु आवंटन के बदले में राजकीय भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भः– पत्रांक प.1(4) भू.अ. / 1765 दिनांक 10.03.11 एवं प.1(4) भू.अ. / 452 दिनांक 27.06.11

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मंत्रीमण्डलीय ज्ञापन क्रमांक प.10(24) नविवि / 3 / 01 / पार्ट 1, दिनांक 21.07.2010 के अनुमोदनानुसार तथा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 19.01.2011 में लिये गये निर्णयानुसार **''जयपुर मेट्रो परियोजना हेतु''** राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित 108612.63 वर्ग मीटर भूमि की कीमत 467/– करोड़ रूपये के बदले में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में राजकीय भूमि राजस्थान आवासन मण्डल के पक्ष में आवंटित की जानी है।

अतः अपने क्षेत्राधिकार के अधीन स्थित समस्त शहरों / कस्बों में राजस्थान आवासन मण्डल की भविष्य में नियोजित की जाने वाली आवासीय योजनाओं की संभाव्यता को दृष्टिगत रखते हुये राजकीय भूमि की पहचान कर आवंटन हेतु प्रस्ताव जिला–कलक्टर को प्रस्तुत करते हुये संबंधित प्रस्ताव की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जानी थी तथा ऐसे समस्त प्रस्ताव संबंधित आवासीय अभियंता व आप द्वारा स्वयं प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण कर एक माह में प्रस्तुत किये जाने थे, किन्तु वांछित प्रस्ताव अपेक्षित है।

पुनः निर्देशित दिये जाते है कि उक्त वांछित प्रस्ताव 30.08.11 तक अतिरिक्त मुख्य अभियंता के मार्फत आवश्यक रूप से प्रस्तुत करावें। इसमें विलम्ब व कोताही के लिये व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुये कठोर कार्यवाही की जावेगी।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति.मुख्य अभियंता, प्रथम / द्वितीय / तृतीय, अपने अपने क्षेत्र के प्रस्ताव 30.08.11 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करावें। विलम्ब के लिये व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जावेगी।
4. आवासीय अभियंता खंड.......... राजस्थान आवासन मण्डल...................

आवासन आयुक्त

D/vikalpji/isro & metro